

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)  
2, जलपथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(3)(से.नि.)स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/19/5-19-105

जयपुर,दिनांक: 21/1/19

आ दे श

श्री शम्भूदयाल बैरवा, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, दौसा की अधिवाषिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 के अंतर्गत उनकी जन्मतिथि 01.06.1959 के आधार पर दिनांक 31.05.2019 को मध्याह्न पश्चात् राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.1(3)(से.नि.)स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/19/5-19-105 जयपुर,दिनांक: 21/1/19  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
3. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, दौसा।
5. श्री शम्भूदयाल बैरवा, कनिष्ठ सहायक द्वारा उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, दौसा।
6. व्यक्तिगत पत्रावली।
7. आदेश पत्रावली।

उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।